"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013—चैत्र 15, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक एफ 9-3/2013/1/5.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर में स्थित नवनिर्मित मंत्रालय भवन का नाम "महानदी भवन" घोषित करती है. तद्नुसार नवनिर्मित मंत्रालय भवन के संबंध में "महानदी भवन" नाम का उपयोग समस्त शासकीय पत्राचार में किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1–74/2011/जन.नि./42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 कहलाएंगे।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची—चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;

   (घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़;

   (ड.) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (च) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (ज) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ—8—5—पच्चीस—4—84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा;

   (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) सीधी भर्ती द्वारा अथवा चयन द्वारा (प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार);

(ख) अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, मूल रूप में धारण करते हों ।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़कर, जिन्हें उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित किये जाएं।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की

अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण — शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इरा प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त उप–नियम 8(घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन

पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त एक या एक से अधिक संवर्ग के आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसी कि अनुसूची–तीन में दर्शित हैं।

(तीन) **फीस**–अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता**.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए, कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे कर्मचारियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात्, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जायेः

परन्तु अपवादित मामलों में, किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थाई रूप से नियुक्त किया जा सकेगा, कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) किसी भी अभ्यर्थी का सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा, यदि ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद हेतु पात्र नहीं होगाः

परन्तु जहाँ तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद हेतु पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद हेतु पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिये निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु, प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद, यदि आयोग के संज्ञान में यह आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है या उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी जाती है, तो उसे निरर्हित ठहराया जा सकेगा तथा उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(2) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार ली जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर जारी करे।

(3) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे। आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिनियम/नियम/आदेश/समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलियर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों, जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जिन्हें आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किया गया हो, की नियुक्ति पर भी विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलेयर) यथास्थिति, के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर– क्रिमीलेयर) के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हैं तथा महिला, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों,

मेरिट कम में तैयार करेगा, जिनकी नियुक्ति के लिये वैधता शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची बनाई जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिये, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आय हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि शासन से प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, चयन सूची की वैधता अवधि में शासन को उसका युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए अधिकतम 6 माह की वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वाभाविक वृद्धि हो जाना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश न की हो।

13. **परिवीक्षा.**– (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा तथा यदि उसका कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में अधिकतम एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी।

(2) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अन्त में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये, अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी:

परंतु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) में उल्लिखित उपबंधों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं

अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– (1) पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जानी है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति वरिष्ठता–सह–उपयुक्ता के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार प की जानी हो, वहां विचारण हेतु क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधि होगा। यदि विचारण क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों लोक सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो कुल रिक्त पदों के सात गुने तक विचारण क्षेत्र बढ़ाया जा सकेगा तथा आरक्षित पदों की पूर्ति उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र के अधीन आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र में प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो उनके नाम सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर भी विचार किया जाएगा।

(4) पदोन्नति शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना**.– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इस आरक्षित सूची के अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 तथा अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यह प्रस्तावित है कि सेवा के किसी सदस्य का, यथास्थिति अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श**.– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी :–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे व्यक्तियों के अभिलेख, जो सूची में यथा अनुशंसित अधिक्रमण हेतु प्रस्तावित हैं।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य उपस्थित हों तथा यदि बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी तथा यह माना जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन कर लिया गया है तथा आयोग से पृथक से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।

18. **चयन सूची**.–(1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि, इनमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार उस पर विचार कर लिया गया है, तो आयोग सूची को आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त प्रतीत हो, अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) सामान्यतः चयन सूची तब तक प्रचलन में रहेगी, जब तक कि यह नियम 16 के उप–नियम (3) के अनुसार पुनरीक्षित तथा पुनर्विलोकित नहीं कर दी जाती, तथापि सूची की विधिमान्यता इसके अंतिम होने की तारीख से 18 माह के लिये होगी, इसके पश्चात् कोई भी आगामी वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से/कर्तव्य के निवर्हन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग, उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी कम से की जाएंगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति**.– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप–सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम–5 देखिए)

स.क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड–पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अतिरिक्त संचालक	01	प्रथम वर्ग	37400–67000	8700
2.	(अ) संयुक्त संचालक–02 (ब) संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)–03	05	प्रथम वर्ग	15600–39100	7600
3.	(अ) उप–संचालक (प्रशिक्षण)–02 (ब) प्राचार्य प्रथम वर्ग–06	08	प्रथम वर्ग	15600–39100	6600
4.	(अ) प्राचार्य द्वितीय वर्ग–37 (ब) प्लेसमेंट अधिकारी–05 (स) सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी)–02	44	द्वितीय वर्ग	15600–39100	5400
5.	(अ) उप प्राचार्य –04 (ब) सहायक संचालक प्रशासन (गैर तकनीकी)–01	05	द्वितीय वर्ग	9300–34800	4400
6.	लेखा अधिकारी –01	01	द्वितीय वर्ग	15600–39100	5400

अनुसूची–दो
(नियम–6 देखिए)

भर्ती का तरीका

स. क.	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)
			सीधी भर्ती/चयन द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के मूल/स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अतिरिक्त संचालक	01	—	100:	—
2	(अ) संयुक्त संचालक (ब) संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)	02 03	— —	100: 100:	
3	(अ) उप–संचालक (प्रशिक्षण) (ब) प्राचार्य प्रथम वर्ग	02 06	— 25:	100: 75:	
4	(अ) प्राचार्य द्वितीय वर्ग (ब) प्लेसमेंट अधिकारी (स) सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी)	37 05 02	50: 50: 50:	50: 50: 50:	उन प्रशिक्षण अधीक्षक से भरे जायेंगे, जो इंजीनियरिंग शाखा में उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) धारक है एवं तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं।
5	उप प्राचार्य	04	—	100:	—
6	सहायक संचालक प्रशासन (गैर तकनीकी)	01	—	100:	—
7	लेखा अधिकारी	01	—	—	कोष एवं लेखा संचालनालय छ.ग. (लेखा सेवा) से प्रतिनियुक्ति द्वारा

अनुसूची तीन
(नियम–8 देखिए)

सीधी भर्ती हेतु व्यक्ति की आयु तथा अर्हता

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्राचार्य प्रथम वर्ग	25 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल (बोर्ड) से इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)। **अनुभव** उपाधि धारकों के लिये 2 वर्ष, पत्रोपाधि धारकों के लिये 7 वर्ष का केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्य करने/अध्यापन का अनुभव। **अधिमान** अध्यापन का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।
2	प्राचार्य द्वितीय वर्ग/प्लेसमेंट अधिकारी/ सहायक संचालक प्रशिक्षण(तकनीकी)	25 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल (बोर्ड) से इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)। **अनुभव** पत्रोपाधि धारकों के लिये केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्य करने/अध्यापन का 5 वर्ष अनुभव। **अधिमान** अध्यापन का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।

टीप – छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची—चार

(नियम 13 एवं 14 देखिए)

स. क.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	पदोन्नति की पात्रता हेतु अनुभव की न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हैं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संयुक्त संचालक / संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)	03 वर्ष	अतिरिक्त संचालक	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य— अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — सदस्य 3. आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. — सदस्य 4. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़— सदस्य
2.	उप—संचालक (प्रशिक्षण) / प्राचार्य प्रथम—वर्ग	03 वर्ष	संयुक्त संचालक / संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य— अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — सदस्य 3. आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. — सदस्य 4. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़— सदस्य
3.	प्राचार्य द्वितीय वर्ग / प्लेसमेंट अधिकारी / सहायक संचालक (प्रशिक्षण तकनीकी)	03 वर्ष	उप—संचालक (प्रशिक्षण) / प्राचार्य प्रथम वर्ग	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य— अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — सदस्य 3. आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. — सदस्य 4. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़— सदस्य
4.	उप प्राचार्य	—	प्राचार्य द्वितीय—वर्ग	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य— अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — सदस्य

				3. आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. – सदस्य 4. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़– सदस्य
5.	प्रशिक्षण अधीक्षक/तकनीकी सहायक	03 वर्ष	प्राचार्य द्वितीय वर्ग/प्लेसमेंट अधिकारी/सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य– अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य 3. आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ0ग0 – सदस्य 4. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़– सदस्य
6.	प्रशिक्षण अधीक्षक/तकनीकी सहायक	10 वर्ष	उप प्राचार्य	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य– अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य 3. आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ0ग0 – सदस्य 4. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़– सदस्य
7.	अधीक्षक, संचालनालय	03 वर्ष	सहायक संचालक प्रशासन (गैर–तकनीकी)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य– अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य 3. आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ0ग0 – सदस्य 4. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़– सदस्य

टीपः– 1. वे उप प्राचार्य, जिन्होंने पदोन्नति के पश्चात् अनुसूची–तीन के कालम (5) में यथा उल्लिखित विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता अर्जित कर ली हो या जो प्राचार्य द्वितीय–वर्ग के पद हेतु विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता रखते हो किंतु रिक्तियॉ न होने के कारण जिनका पदोन्नति के लिये विचार न किया गया हो, अपनी वरिष्ठता के अनुसार प्राचार्य द्वितीय–वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे ।

2. वे प्रशिक्षण अधीक्षक/तकनीकी सहायक, जो अनुसुची–तीन के कॉलम (5) में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता रखते है, उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुसार प्राचार्य द्वितीय–वर्ग के पद पर पदोन्नत किया जायेगा।

3. वे प्रशिक्षण अधीक्षक/तकनीकी सहायके, जो इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा की अर्हता नहीं रखते हों, वे उनकी वरिष्ठता के अनुसार उप–प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे।

New Raipur, the 21st March 2013

No. F 1-74/2011/MPP/42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment in the Chhattisgarh Industrial Training (Gazetted) Services, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Industrial Training (Gazetted) Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013.
   (2) These rule shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means Government of Chhattisgarh;
   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
   (c) "Committee" means Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV;
   (d) "Director" means Director, Directorate, Employment and Training Chhattisgarh;
   (e) "Examination" means competitive examination held for recruitment under rule 11 of these rules;
   (f) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (g) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, as amended from time to time vide notification no. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984;
   (i) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
   (j) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;
   (k) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;
   (l) "Service" means Chhattisgarh Industrial Training (Gazetted) Service;
   (m) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-
   (1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
   (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
   (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-1:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the Commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment or by selection (Competitive Examination/ Interview);

(b) by promotion of members of the service as specified in Schedule-IV;

(c) by transfer of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub- rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of the duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in the service.-** All appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) **Age-** (a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of issue of advertisement.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all Defense Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation-The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in the Government Service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
  (a) Completion of short term engagement;
  (b) On fulfilling the conditions of enrolment.
(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv). Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground the they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of green card holder candidates under Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple as per Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/ Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause 8(d)(i) and d(ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/ selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case these age limit shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above categories for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

[illegible] **Educational qualification-** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

[illegible] **Fees-** The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such employees.

(3) Any candidate shall not be appointed to a service or post unless he has been found after such medical examination as may be prescribed, to be in good mental and bodily health and free from any mental or bodily defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service or post:

Provided that in exceptional cases a candidate may be appointed provisionally to a service or post before his medical examination, subject to the condition that the appointment is liable to be terminated forthwith, if he is found medically unfit.

(4) Any candidate shall not be considered for appointment to a service or post if, after such enquiry as may be considered necessary, the appointing authority is satisfied that he is not suitable in any respect for service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. **Commission's decision about the eligibility of the candidates shall be final.-** (i) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/interview, shall be allowed to appear in the examination or interview.

(ii) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. **Direct recruitment by selection/competitive examination/interview.-** (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government in consultation with the Commission from time to time.

(3) Selection of the candidates for the service shall be made in such manner as the Commission may determine.

(4) At the time of recruitment in service provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment wise.

(6) In addition to above, the post for disabled/ ex-servicemen shall be reserved in accordance with the provision of Act/Rules/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may be women/ disabled/ex-servicemen and who are selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) as per sub-rule (7), as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer).

12. **List of candidates selected by the Commission.-** (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer), who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, disabled/ex-servicemen who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of selection list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. **Probation.-** (1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of two years and if his work is found unsatisfactory, then the period of probation may be extended by the Appointing Authority for another period upto a maximum of one year.

(2) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer may be terminated.

14. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for the purpose of constitution of the committee, provision of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the provision mentioned in sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority- Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. **Conditions regarding eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of service, (whether officiating or substantive), on the posts from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year, in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category falling under above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 and 15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion in service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this reserve list, which shall consist one and maximum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) List of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all persons included in the list.

(ii) the record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceedings of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select list.- (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it will approve the list.

(2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission shall inform the Government with its opinion if any, but once it is considered, the Commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) Generally the select list shall prevail until it is scrutinized and revised as per sub-rule (3) of rule 16, however the validity of the list shall be for 18 months from the date on which the list is finalized, after which no further extension will be allowed:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Probation.- Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

21. **Interpretation.-**If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner which is less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes in accordance with the orders by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Sr. No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	Scale of pay	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director	01	Class-I	37400-67000	8700
2.	(a) Joint Director-02 (b) Joint Director (Training)-03	05	Class-I	15600-39100	7600
3.	(a) Deputy Director (Training)-02 (b) Principal Class-I -06	08	Class-I	15600-39100	6600
4.	(a) Principal Class-II-37 (b)Placement Officer-05 (c)Assistant Director Training (Technical)-02	44	Class-II	15600-39100	5400
5.	(a)Vice Principal-04 (b)Assistant Director Administration (Non-Technical)-01	05	Class-II	9300-34800	4400
6.	Accounts Officer-01	01	Class-II	15600-39100	5400

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Method of Recruitment

Sr. No.	Name of Service	Total Number of duty posts	Percentage of Posts to be filled in		By transfer/ deputation from other service [vide Rule 6(1)(c)]
			By direct recruitment/ by selection, [vide Rule 6(1) (a)]	By Promotion of substantive/ officiative members of service [vide Rule 6(1) (b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director	01	-	100%	-
2.	(a) Joint Director	02	-	100%	-
	(b) Joint Director (Training)	03	-	100%	
3.	(a) Deputy Director (Training)	02	-	100%	-
	(b) Principal Class-I	06	25%	75%	
4.	(a) Principal Class-II	37	50%	50%	To be filled by those Training Superintendent who, are degree/diploma holder in engineering branch and possess three years experience
	(b) Placement Officer	05	50%	50%	
	(c) Assistant Director Training (Technical)	02	50%	50%	
5.	Vice Principal	04	-	100%	-
6	Assistant Director Administration(Non-Technical)	01	-	100%	-
7.	Accounts Officer	01	-	-	By deputation from Directorate Treasury and Account Chhattisgarh(Account Services)

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Age and qualification of the person to be direct recruited

Sr. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Principal Class-I	25 year	30 year	**Essential** Degree in engineering form any recognized University or diploma in engineering form any recognized University or Board **Experience** 2 years for Degree holder,7 years for Diploma holder working/teaching experience in any Institution recognized by the Central or the State Government **Preference** preference shall be given to those who have teaching experience.
2	Principal Class –II/ Placement Officer/ Assistant Director Training (Technical)	25 year	30 year	**Essential** Degree in engineering form any recognized University or diploma in engineering form any recognized University or Board **Experience** for Diploma holder 5 year working/teaching experience in any Institution recognized by Central or State Government **Preference** prcfcrence shall be given to those who have teaching experience.

Note - The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See Rule 14 and 15)

Sr. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion	Name of the post or service on which promotion is to be made	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joint Director / Joint Director (Training)	03 year	Additional Director	1. Chairman, Public Service Commission orany other member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary-Member. 3. Commissioner/Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh -Member. 4. Director, Employment and Training Chhattisgarh- Member.
2.	Deputy Director (Training)/ Principal Class-I	03 year	Joint Director / Joint Director (Training)	1. Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary-Member. 3. Commissioner/ Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh -Member. 4. Director,Employment and Training Chhattisgarh- Member.
3	Principal Class-II/ Placement Officer/ Assistant Director(Training Technical)	03 year	Deputy Director (Training) / Principal Class-I	1. Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him-Chairman.

				2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary-Member. 3. Commissioner/Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh.-Member. 4. Director, Employment and Training Chhattisgarh- Member.
4	Vice Principal	-	Principal Class-II	1. Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary-Member. 3. Co.. missioner/Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh-Member. 4. Director,Employment and Training Chhattisgarh- Member.
5	Training Superintendent/ Technical Assistant	03 year	Principal Class-II/ Placement Officer/ Assistant Director Training (Technical)	1. Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary-Member. 3. Commissioner/Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh-Member. 4. Director,Employment and Training Chhattisgarh-Member.

6	Training Superintendent/ Technical Assistant	10 year	Vice Principal	1. Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- Chairman. 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary- Member. 3. Commissioner/Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh-Member. 4. Director, Employment and Training Chhattisgarh- Member.
7	Superintendent Directorate	03 year	Assistant Director Administration (Non-Technical)	1. Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- Chairman. 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary- Member. 3. Commissioner/Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh-Member. 4. Director,Employment and Training Chhattisgarh- Member.

Note - 1. Those Vice Principal who after promotion acquire the specified technical qualification as mentioned in column (5) of Schedule-III later on or even who posses specified technical qualification for the post of Principal Class-II but were not considered for promotion for lack of vacancies shall be eligible for promotion to the post of Principal Class-II according to their seniority.

2. Those Training Superintendent/Technical Assistant who posses educational qualification mentioned in column (5) of Schedule-III shall be promoted to the post of Principal Class-II according to their seniority.

3. Those Training Superintendent/Technical Assistant who do not posses engineering degree/ diploma shall be promoted to the post of Vice Principal according to their seniority.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur (C.G.)

Raipur, the 22nd March 2013

F. No. 2307/XXI-B/C.G./13.—State Government, on the basis of resolution passed by the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, and in compliance of order No. 1762/2013 (Resolution) Bilaspur, dated 05-03-2013, hereby, makes the following further amendment in this department's order No. 13040/XXI-B/CG/2006 dated 31-10-2006, namely :—

AMENDMENT

In the said order :—
1. In Sub-clause (6) of Clause 7, for the words "High Court" the words "Portfolio Judge" shall be substituted.

Raipur, the 22nd March 2013

No. 2309/911/XXI-B/(C.G.)/13.—State Government, on the recommendation of Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 184/II-2-101/2001/Confdl/2013 Bilaspur dated 19-3-2013, hereby, withdrawing the services of Shri Siddharth Agrawal, IIIrd Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-I and Special Railway Magistrate, Raipur, from High Court, handover the Services to the Law & Legislative Affairs Department, for his appointment on deputation and appoints him as Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, New Delhi, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 02/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पोड़ी प. ह. नं. 04	0.76	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	पोड़ी एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 01/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मटिया प. ह. नं. 37	5 13	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	लावर - कोनी - इटवा- सरसेनी - विद्याडीह - गिधपुरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 01/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरारी प. ह. नं. 12	7.070	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 02/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मोहनभाठा प. ह. नं. 12	4.634	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 09/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमने प. ह. नं. 20	0.312	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	साजापाली एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 10/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	धूमा प. ह. नं. 26	0.251	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	साल्हेडबरी जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नागचुवा प. ह. नं. 26	0.121	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	साल्हेडबरी जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 मार्च 2013

क्रमांक/1589/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	महरूमकला प.ह.नं. 14	0.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	हरडुवा जलाशय के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1873/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	डोंगरगांव प.ह.नं. 04	4.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	हालमकोड़ो जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1874/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	परसाटोला प.ह.नं. 19	0.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मोंगरा एनीकट के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1875/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	अं. चौकी प.ह.नं. 12	0.81	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बिहरीखुर्द एनीकट के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1876/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बिहरीकला प.ह.नं. 19	1.91	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बिहरीखुर्द एनीकट के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक/1961/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गफुट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ नजूल शहर शीट क्रमांक-6	999 वर्गफुट (मकान)	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव.	तुमड़ीबोड़ - डोंगरगढ़ मार्ग बधियाटोला से नीचे मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 11 मार्च 2013

क्रमांक/810 प्र-1/अ.वि.अ./13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	भोथली प.ह.नं. 8	0.18	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	बालोद - ओरमा - जगन्नाथपुर मार्ग में जुझारा नाला में पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद, मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 मार्च 2013

क्रमांक/810 प्र-1/अ.वि.अ./13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	खरथुली प.ह.नं. 8	0.13	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	बालोद - ओरमा - जगन्नाथपुर मार्ग में जुझारा नाला में पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद, मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 11 मार्च 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	0.2576	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कोण्डागांव.	नगर कोण्डागांव के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक Q क/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	मेंढरका	0.56	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग, धमतरी.	भोथली-मेंढरका मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक Q क/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	कातलबोड़	0.78	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग, धमतरी.	कुरूद-चर्रा-कातलबोड़ मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

रा. प्र. क्रमांक 7 अ-82/2012-2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (डि. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामानुजगंज	रामानुजगंज	0.04	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग रामानुजगंज.	अम्बिकापुर-रामानुजगंज पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्रमांक/539/प्र.क्र. 1/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य **शासन को इस बात का समाधान** हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची **के पद (1) में वर्णित भूमि की** अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित **सार्वजनिक प्रयोजन के लिए** आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन **अधिनियम, 1984 (क्रमांक** 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत **इसके द्वारा यह घोषित किया** जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन **के लिए आवश्यकता है :—**

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-अकोला, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
111	0.11
113	0.02
378/2	0.02
योग	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारेसरा खम्हरिया मार्ग पर खाती नाला पर पुल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कनेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.54 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
194	0.20
196	0.44
199/2	0.15
198/1	0.14
228	0.40
229	0.29
230/3	0.18
231	0.35
245	0.25
249	0.25
250	0.40
251/6	0.07
251/3	0.09
251/5	0.11
253/6	0.14
251/4	0.13
254/1	0.05
252	0.15
253/1	0.15

(1)	(2)
253/2	0.04
262	0.06
261	0.10
263	0.10
260/1	0.20
296/2	0.10
योग	4.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनेरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बेलतरा
(ग) नगर/ग्राम-भाड़ी, प.ह.नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.78 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
36/1	0.13
37/1	0.25
37/2	0.14
38	0.06
40/1	0.18
42/1	0.10
42/2	0.11
43	0.11
46/1	0.09
46/2	0.09
1067	0.15
1071	0.07
1075	0.15
1076/1	0.34
1088/1	0.01
1088/2	0.10
1088/3	0.10
1090	0.11
1111	0.14
1120/1	0.09
1120/2	0.11
1121/1ख	0.14
1117/1	0.20
1189/2	0.04
1194	0.14
1195	0.14
1196/2	0.22
1196/3	0.19
1197	0.08
योग	3.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भाड़ी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्रमांक 21/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-कुवारीमुड़ा, प.ह.नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	181/1	0.36
	201/1	0.19
योग	2	0.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-132 के.व्ही. उप केन्द्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक/क/प्रवा-2/अ.वि.अ./2013/60 A.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.835 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
176/1	0.13
472	0.13
217	0.18
176/2	0.19
176/3	0.10
176/4	0.13
176/5	0.14
176/6	0.10
177	0.42
178	0.47
186, 187	0.01
179	0.158
205	0.08
210	0.27
180	0.227
165/1	0.32
165/2	0.08
166	0.19
471	0.25
167	0.05
181/1	0.034
201/2	0.02
199/1, 200/1	0.07
201/1	0.024
201/3	0.02
201/4	0.025
201/5	0.01
201/6	0.01
202	0.054
203	0.109
173/1	0.37
207	0.54
215	0.50
208	0.35
211	0.31
216	0.21
199/2	0.007
200/2	0.06
42	0.852
43/1	0.19
43/2	0.06
43/3	0.24
43/4	0.24
198	0.267
44	0.28

	(1)	(2)
	206	0.758
	213	0.45
	474	0.37
	212	0.35
	218	0.33
	473	0.10
योग	50	10.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 218/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
रायगढ़	रायगढ़	बनसिया/10	1164	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	रायगढ़	बनसिया/10	1165/1	0.10
			1172	0.25
			1171	0.06
			1175	0.20
			1163/1266/1	0.06
			834/1d	1.18
			1163/1	0.65
			1174	0.70
			1177	0.80
			1179	0.06
			1257	1.56
		योग	12	6.02

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 219/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	रायगढ़	ननसिया/11	8	0.40
			109	0.03
			10/1	0.10
			132/1	0.12
			11/4	0.20
			11/6	0.03
			69	0.98
			89	0.23
			93	0.35
			71	0.15
			72	0.04
			92	0.10
			194	0.80
			86/1	0.22
			201/1	0.33
			87/1	0.15
			87/2	0.15
			91/1	0.18
			101	0.38
			106	0.12
			107/1	0.40
			108/1	0.20
			185	0.48
			198	0.12
			200/2	0.46
			201/2	0.33
			202	0.05
			205	0.05
			130	0.07
		योग		

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 220/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
रायगढ़	रायगढ़	छुहीपाली/11	3/1	0.09
			29/1	0.14
			6/1	0.16
			5/1	0.09
			15/1	0.08
			17/1	0.12
			21/1	0.11
			23/1	0.11
			25/1	0.10
			11/1	0.28
			12/1	0.42
			13	0.40
			19	0.15
			22/1	0.08
			18/1	0.50
		योग	15	2.83

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 221/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख़ से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
रायगढ़	रायगढ़	अमलीभौना/11	100/1	0.32
			100/323	0.05
			121/325/1	1.20
			102/1	0.10
			134	0.15
			136	0.11
			103/1	0.16
			125/8	0.13
			119	0.10
			125/7	0.14
			126	0.25
			133	0.33
			112/1	0.12
			120	0.24
			135	0.22
			योग [illegible]15	3.62

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2012

"प्रारूप–घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 223/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) **अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004)** (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन **जारी की गई सक्षम प्राधिकारी,** रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से **संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट** भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये **जल परिवहन हेतु भूमिगत** पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय **के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम** पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी **को भी की गई है और उन्हें** अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी/14	80	0.47
			108/1	1.00
			113/1	0.18
			114	0.10
			120/1	1.20
			115	0.30
			116	0.14
			117	0.05
			119/1	0.06
			121/1	0.18
			122	0.28
			123/3	0.30
			154/2	0.50
			376/2	0.08
			381/8	0.20
			188/1	0.42
			190/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	**रायगढ़**	**कलमी/14**	190/2	0.20
			190/3	0.25
			191	0.04
			377	0.40
			381/7	0.80
			381/11	0.32
			384/1	0.14
			384/2	0.13
			384/4	0.13
			82	0.08
			89	0.04
			124	0.63
			192	0.04
			194	0.04
			294	0.14
			394	0.10
			343	0.04
		योग	**34**	**8.99**

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 226/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	रायगढ़	गेरवानी/15	61/1	0.84
			14/3, 7, 8, 9, 11	0.30
			9/1, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32	0.40
			9/2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	0.79
			14/10	0.59
			4/1	0.43
			4/2	0.28
			6	0.51
			7	0.01
			4/3	0.40
			5	0.02
			21/6	0.99
			21/3	0.30
			22/1	0.15
			44/3, 4, 5	0.74
			44/9, 10, 11	0.74
			42	0.99
			40	0.95
			14/5	0.32
			24/2	0.06
			15/1	0.61
			39	0.37
			41	0.30
		योग	23	11.07

रायगढ़, दिनांक 27 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 217/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना कमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
रायगढ़	रायगढ़	तरकेला/10	1415/1	0.05
			1416/1	0.10
			1394/1	0.16
			1415/2	0.04
			1431	0.09
			1396/1441	0.06
			1366/3	0.20
			1367/1	0.20
			1389/3d	0.08
			1395	0.12
			1393/1	0.22
			1388	0.30
			1389/1d	0.06
			1412/1	0.03
			1432/1	0.20
			1414/1	0.06
			1435	0.05
			1436/2	0.06
			1396/1	0.05
			1433/2	0.36
			1391/2k	0.12
			1365/1	0.15
			1376/1	0.12
			1378/1	0.10
			1413/1	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1390/6	0.05
			1375	0.22
			1342/1	0.42
		योग	**27**	**3.91**

रायगढ़, दिनांक 27 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 222/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमनारा/11	14/1	0.15
			46/1	0.80
			71	1.22
			48/13	0.40
			67/3	0.12
			68/1	0.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमनारा/11	72/1	0.46
			1	0.04
			20/1	1.55
		योग	10	5.24

रायगढ़, दिनांक 27 नवम्बर 2012

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 226/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर, दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम तमनार, तहसील तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-12-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
रायगढ़	रायगढ़	चिराईपानी/15	125	0.54
			192	0.34
			188	0.55
			180	0.07
			181	0.04
			147	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	रायगढ़	चिराईपानी/15	183	0.20
			131	0.56
			168/1	0.26
			178	0.02
			128	0.53
			149	0.23
			135/7	0.15
			148	0.03
			179	0.08
			182	0.20
			166/1	0.48
			176	0.12
			177/1	0.25
			167/1	0.23
			150	0.08
			120	0.03
			123	0.60
			135/1	0.62
			187	0.04
			170	0.11
			169	0.17
			164	0.11
			122	0.05
		योग	**29**	**6.72**

जे. आर चौरसिया,
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी.